

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्या:—06 / 2020

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़

—स्टेट

बनाम

लखवीर कुमार उर्फ बल्लू पुत्र पंजाब लाल ओढ निवासी वार्ड नं. 40 सुरेशिया हनुमानगढ़ पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़।

—गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975



उपस्थित:—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।

2. श्री अमित मदान अधिवक्ता गैरसायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक:—12.03.2022

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल लखवीर कुमार उर्फ बल्लू पुत्र पंजाब लाल ओढ निवासी वार्ड नं. 40 सुरेशिया हनुमानगढ़ पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है जो सट्टा की खाईवाली करने का आदि है एवं जवान उम्र का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। गैरसायल सट्टा की खाईवाली कर आम जनता को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। कस्बा हनुमानगढ़ जंक्शन के लोग इससे काफी भयभीत रहते हैं। गैरसायल को पर्ची का अवैध धन्धा करने से मना करने पर ये झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। इसकी शिकायत करने से लोग डरते हैं। गैरसायल की आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये हैं जिनमें अधिकतर अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	मु. नं.	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	301/09.06.19	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
2	59/01.2.19	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
3	31/18.01.19	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
4	515/01.10.19	13 आरपीजीओ	चालान	सजा

गैरसायल की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल लखवीर कुमार उर्फ बल्लू पुत्र पंजाब लाल ओढ निवासी वार्ड नं0 40 सुरेशिया हनुमानगढ़ पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल जरिये वकील उपस्थित होकर हल्फनामा पेश किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के वकील ने हल्फनामा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरुद्ध जारी नोटिस में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया है वे सभी राज. पब्लिक गेंबलिंग ऑर्डिनेंस के अन्तर्गत हैं जो स्थानीय पुलिस थाना द्वारा सन 2019 में दुर्भावना से प्रेरित होकर रंजिशवश किये गये थे। इसके बाद प्रार्थी पर कोई मुकदमा नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं कर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह जीवन-यापन कर रहा है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश की गया है जिससे ऐसा जाहिर हो कि गैरसायल अभी भी इन अपराधिक कृत्यों में रत है तथा उसकी गतिविधियों या उसके कृत्य से जिले के किसी भी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। गैरसायल द्वारा वार्ड पार्षद वार्ड नं. 52, नगरपरिषद हनुमानगढ़ द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र व हल्फनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरे खिलाफ धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के मुकदमे 2019 में हुये थे जो प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा मुझ पर जुर्मानाकारित कर निस्तारण हो चुके हैं। उक्त मुकदमों के बाद मुझ पर किसी प्रकार का कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी मजदूरी कर अपना जीवनयापन कर रहा हूं व शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा हूं। अब मुझसे किसी प्रकार की सामाजिक शांति भंग होने की आशंका नहीं है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लुंगा इसके लिये अपने आप को पाबंद करता हूं। अतः गैरसायल की ओर नरमी का रुख अपनाते हुए इसके विरुद्ध संस्थित कार्यवाही को ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गैरसायल को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(v) में वर्णित अपराध कारित किये है जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सायल को 100-100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है किन्तु उक्त अपराध वर्ष 2019 में दर्ज किये गये है इसके पश्चात् सायल पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे। इस बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नहीं किये है। वकील गैरसायल ने बहस में निवेदन किया कि गैरसायल लखवीर कुमार उर्फ बल्लू पुत्र पंजाब लाल ओढ ने आज तक शांति बनाए रखी है। अब किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं करता है। गैरसायल वर्तमान में कोई गलत काम नहीं कर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह अपना जीवन-यापन कर रहा है। अपने क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तथा किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं करता है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में गैरसायल को भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने व कस्बा में सामाजिक शांति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत यह इस्तगासा ड्रॉप(Drop) किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़